ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00117

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 29 / 2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द अरोड़ा — नमूना विकेता व मालिक -
मै0 भ्रमणशील दूध विकेता निवासी वार्ड नम्बर 06, गली नम्बर 01, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 20.10.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.01.2020 को बाद दोपहर बाद 1.00 पीएम पर श्री प्रवीण कुमार खत्री, वरिष्ठ सहायक , हाल, कार्यलय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ वास्ते निरीक्षण वार्ड नम्बर 12, रामदेव मंदिर के पीछे, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचें। वहाँ पर **राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द्र अरोड़ा भ्रमणशील दूध विकेता उम्र–44 वर्ष मय वाहन संख्या RJ 13 GB 4102, TATA-S के मोहल्ले में दूध विकय करता उपस्थित मिला जिसने स्वयं को उक्त वाहन एवं उसमें रखे दूध का मालिक बताया।** उपस्थित को मैने अपना परिचय देकर वाहन, का निरीक्षण किया तो उसमें रखे 2 एल्युमिनियम की टंकियों में लगभग 70 लीटर खाद्य पदार्थ **मिक्सड् दूध (MIXED MILK) मिला। जिसको नमूना विकेता एवं मालिक ने आमजन को विकय हेतु रखा बताया। मिक्सड् दूध (MIXED MILK)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **मिक्सड् दूध (MIXED MILK)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द्र अरोड़ा** एवं गवाहान ने भी पढकर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द्र अरोड़ा** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **मिक्सड् दूध (MIXED MILK) में से 2 लीटर मिक्सड् दूध (MIXED MILK)** को विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **मिक्सड् दूध (MIXED MILK)** का नगद भुगतान 70/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **2 लीटर मिक्सड् दूध (MIXED MILK) को चार साफ एवं सुखी प्लास्टिक बोतलों में बराबर मात्रा में भरकर एवं परिरक्षक फार्मेलिन की उचित मात्रा मिलाकर ढक्कन बंद किया तथा टेप चिपकार कर चार नमूना भाग बनाऐं। चारों प्लास्टिक बोतलो पर अलग–अलग** पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1024** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1024** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वय के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द्र अरोड़ा** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- L.S./147 Act/2020/210 Dated 06-02-2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1024 Sub-Standard-Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द्र अरोड़ा** मैसर्स जय मां चिन्तपूर्णी किरयाना स्टोर, मार्केट कमेटी के पास, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **मिक्सड् दूध (MIXED MILK)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी वार्ड नम्बर 5, नजदीक हरगोविन्द प्लास्टिक फैक्टरी , पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मोटर साईकिल पर दूध का व्यवसाय करता है, विभाग द्वारा प्रार्थी के सप्लाई किये जाने वाले दूध की जांच की गई तो दूध **Sub-Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने सप्लाई किये जाने वाले दूध की क्वालिटी में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जायें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के प्रकरण का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिक्सड् दूध (MIXED MILK)** का सैम्पल **K-1024** जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S./147 Act/2020/210 Dated 06-02-2020 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्तो के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी मोटर साईकिल पर दूध का व्यवसाय करता है। प्रार्थी के सप्लाई किये जाने वाले दूध की जांच की गई तो दूध **Sub-Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने सप्लाई किये जाने वाले दूध की क्वालिटी में सुधार कर लिया है। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के प्रकरण का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mixed Milk" bearing Code No and Sr. No. K-1271, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011**की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। फलस्वरूप अभियक्त **राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द्र अरोड़ा** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द्र अरोड़ा** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द्र अरोड़ा** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर